

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प. 6(16)शिक्षा/ग्रुप-3/2019

जयपुर, दिनांक: 30 DEC 2019

:- आदेश :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2019-20 के बिन्दु संख्या 241.00 "डूंगरपुर जिले में एक विधि महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी" की क्रियान्विति के क्रम में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार शर्तों के अध्वधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

1. विभागीय बजट मद 2202-03-103-15-01 में निम्नानुसार नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	01
2	सहायक आचार्य	08
3	पुस्तकालयध्यक्ष	01
4	शारीरिक शिक्षक	01
5	सहायक लेखाधिकारी- I	01
6	अति. प्रशासनिक अधिकारी	01
7	आशुलिपिक	01
8	वरिष्ठ सहायक	01
9	कनिष्ठ सहायक	02
10	बुक लिफ्टर	01
11	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02
	कुल योग	20

2. राजकीय विधि महाविद्यालय, डूंगरपुर खोले जाने के फलस्वरूप आवर्तक/अनावर्तक व्यय हेतु कुल राशि 743.20 लाख के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान चाहा गया है, जिसमें भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 600.00 लाख भी सम्मिलित है, के संबंध में आयुक्त, कॉलेज शिक्षा भूमि/तकमीना आदि आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर RE 2019-20 के प्रस्ताव में इसे सम्मिलित करवाया जाना सुनिश्चित करे।
3. आवर्तक/अनावर्तक व्यय हेतु प्रस्तावित शेष राशि के संबंध में उक्तानुसार नवीन पदों के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आयुक्तालय के बजट मद में उपलब्ध प्रावधान से कराया जाना एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आवश्यक राशि का आंकलन कर प्रस्ताव बीएफसी वर्ष 2020-21 एवं संशोधित अनुमान 2019-20 के यथा समय वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 131900201 दिनांक 06.08.2019 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बाबू लाल गोयल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को मय उनकी पत्रावली क्रमांक एफ 20(101/10) आयो/ आकाशि/2019-20 मय नोटशीट के।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग।
11. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा सभी संबंधितों को अग्रेषित करने के संबंध में।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव


आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

दिनांक 29 जनवरी, 2020

क्रमांक :एफ 20 (101/)/आयो/आकाशि/2020/ 19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महालेखाकार लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।
- 2 संयुक्त शासन, सचिव माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
- 4 निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 5 निजी आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 6 संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 7 संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 8 संयुक्त शासन सचिव आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 9 संयुक्त सचिव (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 10 कुल सचिव, गुरु गोविन्द जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाडा को भेजकर लेख है कि नवीन राजकीय विधि महाविद्यालय, डूंगरपुर को बिना विलम्ब शुल्क सम्बद्धता प्रदान करावे।
- 11 वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 12 संयुक्त निदेशक, (एच आर डी/प्रशासन) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि अगले शैक्षणिक सत्र से प्रारम्भ होने वाले राजकीय विधि महाविद्यालय, डूंगरपुर में पदों का पदस्थापन करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 13 संयुक्त निदेशक, अकादमी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि अगले शैक्षणिक सत्र 2020-21 से बीसी आई की मान्यता प्राप्त होने की स्थिति में राजकीय विधि महाविद्यालय डूंगरपुर में प्रवेश संबंधित कार्य शुरू करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 14 प्राचार्य /नोडल राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित विश्वविद्यालय एवं बी.सी.आई में सम्बद्धता/मान्यता प्राप्त करने हेतु फीस जमा करवाकर व्यक्तिशः सम्पर्क कर सम्बद्धता/मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 15 वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर।
- 16 रक्षित पत्रावली।


(डॉ. आर सी मीना)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)